रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940
No. 437] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

**का.आ. 550(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 133ग की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की का.आ. संख्यांक 771 (अ), 22 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नोटिस को केंद्रीयकृत रूप से जारी करने और सूचना या दस्तावेजों के प्रक्रमण तथा निर्धारण अधिकारी को प्रक्रमण के निष्कर्ष उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम केंद्रीयकृत सत्यापन स्कीम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएं**.— (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "केंद्र" से नोटिस को केंद्रीयकृत रूप से जारी करने और सूचना या दस्तावेजों के प्रक्रमण तथा निर्धारण अधिकारी को प्रक्रमण के निष्कर्ष उपलब्ध कराने के लिए स्थापित केंद्रीयकृत सत्यापन केंद्र अभिप्रेत है;

(ग) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त और इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत आय-कर महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रधान महानिदेशक" से आय-कर अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त और इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आय-कर महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ङ) "अभिहित प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 133ग के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "पोर्टल" से एक स्कीम के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया वेब पोर्टल अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

**3. लागू होना**.—यह स्कीम ऐसी सूचना या दस्तावेजों पर लागू होगी जो, --

(1) केंद्र के कब्जे में हैं ; या

(2) जो केंद्र को, निम्नलिखित द्वारा अधिनियम की धारा 119 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है –

(i) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली);

(ii) आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण);

(iii) आय-कर निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण);

(iv) विवरणियों के प्रक्रमण के लिए केंद्रीयकृत प्रक्रमण केंद्र का भारसाधक आय-कर आयुक्त;

(v) स्रोत पर काटे गए आयकर के विवरण के प्रक्रमण के लिए केंद्रीयकृत प्रक्रमण सेल का भारसाधक आयुक्त;

(vi) कोई अन्य प्राधिकारी, निकाय या व्यक्ति ।

**4. नोटिस जारी करना और तामील.—**(1) केंद्र, किसी व्यक्ति को पैरा 3 में निर्दिष्ट सूचना या दस्तावेजों के सत्यापन के प्रयोजन के लिए सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए नोटिस जारी करेगा ।

(2) नोटिस अभिहित प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाएगा ।

(3) नोटिस की तामील, इलैक्ट्रानिक मेल, या पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अकाउंट में एक प्रति रखकर, जिसके उपरांत संक्षिप्त संवाद सेवा द्वारा संसूचित करके की जाएगी ।

(4) उप पैरा (1) के अधीन मांगी गई सूचना या दस्तावेज, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे ।

**5. नोटिस का प्रत्युत्तर**.— (1) पैरा 4 के उपपैरा (1) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर, पैरा 8 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रमणों के अनुसार मशीन द्वारा पठनीय ढांचाकृत रूप विधान में किया जाएगा ।

**6. सूचनाओं और दस्तावेजों का प्रक्रमण -** (1) केंद्र, पैरा 8 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रमणों के अनुसार, पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और दस्तावेजों का प्रक्रमण करेगा ।

(2) केंद्र, अधिनियम की धारा 119 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रमण के निष्कर्ष उपलब्ध कराएगा ।

**7. कोई वैयक्तिक उपस्थिति नहीं**.—केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र में कार्यवाहियों के संबंध में अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, किसी व्यक्ति से वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी ।

**8. कार्यप्रणाली और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की शक्ति—**प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) केंद्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट निम्नलिखित प्रक्रियाएं और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करेगा, अर्थात् :--

(क) नोटिस जारी करने के लिए रूप विधान और प्रक्रिया ;

(ख) नोटिस के प्रत्युत्तर में पाने वाले से किसी सूचना या दस्तावेज की प्राप्ति ;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की अभिस्वीकृति जारी करने के लिए ढंग और रूप विधान ;

(घ) वेब पोर्टल सुविधा, जिसके अंतर्गत लॉगिन सुविधा, सत्यापन स्थिति ट्रैकिंग, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड करने की सुविधा का उपबंध, सम्मिलित है ;

(ङ) सूचना और प्रत्युत्तर जिसके अंतर्गत सत्यापन प्रक्रियाओं के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हैं, का निर्धारण, प्रक्रमण और सत्यापन

(च) निर्धारण अधिकारी को सत्यापन के निष्कर्ष उपलब्ध कराने के लिए रूप विधान और डाटा संरचना ;

(छ) शंकाओं का उत्तर देने के लिए और समर्थन सेवा देने, जिसके अंतर्गत निर्गामी कॉल और सूचना या स्पष्टीकरण की ईप्सा करने के लिए आने वाली कॉल भी हैं, के लिए कॉल सेंटर ;

(ज) प्राप्ति, स्कैनिंग, डाटा प्रविष्टि, भंडारण और सूचना और दस्तावेजों की केंद्रीयकृत रीति में पुन: प्राप्ति ;

(झ) केंद्र में शिकायत निवारण तंत्र।

[अधिसूचना सं. 5/2019/फा. सं. 370142/22/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान)